राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00147/2023

विजयलक्ष्मी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, टोंक।
5. मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा कार्यालय, निवाई, टोंक।
6. राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधारीपुरा, रजवास, निवाई, टोंक जरिये प्रधानाध्यापक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2023
आदेश की दिनांक : 11.01.2023
संशोधित आदेश दिनांक 31.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संशोधन आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधारीपुरा, रजवास, निवाई, टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 लेवल–2 उर्दू के पद पर हुई थी। परंतु आदेश दिनांक 28.09.2018

के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधारीपुरा रजवास, निवाई, टोंक में उसने अध्यापक ग्रेड–3 लेवल–1 के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जबकि अपीलार्थी लेवल–2 के उर्दू विषय का कार्मिक है। तदोपरांत आदेश दिनांक 05.03.2019 के द्वारा अपीलार्थी को जिला टोंक आवंटित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवाई ब्लॉक में लेवल–2 उर्दू विषय रिक्त पदों की सूची प्रस्तुत की जहां आज भी रिक्त पद है जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष ब्लॉक निवाई में किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन दिनांक 27.012.2022 प्रस्तुत किया गया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी जो कि लेवल–2 उर्दू विषय का कार्मिक है का ध्यान में रखते हुए ब्लॉक निवाई में रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने के आदेश फरमावे जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना

अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य